//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 24/2023

उनवान

देवाराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 20.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3901/0.43, 4015/0.54, 4016/0.54 की आराजी के मूल खातेदार वादी देवाराम पुत्र गंगाराम है। वादी को बोलचाल की भाषा में गांव में रामपाल के नाम से भी जानते है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम देवाराम पुत्र गंगाराम ही है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से रामपाल पुत्र गंगाराम अंकित कर दिया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। वादी के हक में खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम रामपाल अंकित है। वादी अन्य दस्तावेज के आधार पर अपना नाम देवाराम कराना चाहता है। वाद पत्र के अनुसार वादी के नाम दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होते है। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3901/0.43, 4015/0.54, 4016/0.54 की आराजी के मूल खातेदार वादी देवाराम पुत्र गंगाराम है। वादी को बोलचाल की भाषा में गांव में रामपाल के नाम से भी जानते है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम देवाराम पुत्र गंगाराम ही है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से रामपाल पुत्र गंगाराम अंकित कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। वाद के समर्थन में आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, चिकित्सालय की पर्ची, इत्यादि पेश किये है। आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा का हाल इन्द्राज किस प्रकार त्रुटिपूर्ण हुआ तथा आराजी मुतनाजा पर वादी को हित व अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये है यह वादी ने स्पष्ट नही किया है। पूर्व राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर वादी स्वयं का नाम सही अंकित होने के समर्थन में साबिक राजस्व अभिलेख भी पेश नही किये है। वादी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किस नामान्तकरण से उनके नाम अंकित हुआ। वादी द्वारा हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताते हुये इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है किन्तु पूर्व राजस्व अभिलेख व साक्ष्य के अभाव में वाद के कथनों की ताईद नही होती है। वादी द्वारा राजस्व अभिलेख में जो परिवर्तन चाहा है वह लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही आता है। वादी इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3901/0.43, 4015/0.54, 4016/0.54 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवाराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 24/2023
पेश करने की दिनांक – 25.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3901/0.43, 4015/0.54, 4016/0.54की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २० माह २ सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested